OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE : DELHI
POLICE HEADQUARTERS, JAI SINGH ROAD, NEW DELHI 110001.
Tele/Fax No. 011-20818736, Email: Inspr.p.phq@gmail.com

NOTIFICATION

DATED:28/03/2023.

No. 7121 /Promotion Cell (AC-III)/P.Br./PHQ: **AD-HOC PROMOTION**:- The Commissioner of Police, Delhi is pleased to grant Ad-hoc Promotion to the next higher rank of HC(Exe.) to the following Constables(Exe.) with immediate effect for a period of six months or till such time they become eligible for regular promotion after having been successfully completion of the Lower School Course which ever is earlier on purely temporary and Ad-hoc basis, under Rule 19(i) of the Delhi Police (Promotion and Confirmation) Rules, 1980:-

S.No	Name	Belt No.	PIS No.	C.G. No.
01.	Ct. (Exe.) Devender Kumar	2917/W	28109541	P280323-143-0017
02.	Ct. (Exe.) Manvir Singh	5139/DAP	28101003	P280323-143-0018

They will not be entitled any right to claim for regular appointment or seniority or for appointment to such or any other equivalent post and shall be liable for reversion without any notice and without assigning any reason. The ad-hoc promotion shall be discontinued when they deny to undergo the prescribed training course alongwith their batch-mates without some valid reason/justification or they fails in relevant promotional training course or they are placed under suspension or D.E. is ordered or any criminal case is registered or awarded censure on allegation of moral turpitude or corruption to major penality (as per S.O. No. HRD/30/2022).

(MAHESH BATRA)
DY. COMMISSIONER OF POLICE
HEADQUARTERS (IV), DELHI.

No. 7122-29 /Promotion Cell (AC-III)/P.Br./PHQ, dated 28/03/2023.

Copy forwarded to the:-

1. DCsP/West Distt., & 7th Bn. DAP, Delhi for information and necessary action. The individual may be informed accordingly against his proper signature & receipt thereof be placed in his Fauzi Missal.
2. ACP/ I.T/PHQ.
3. Inspr. Estt./PHQ for publication in D.P.G.
4. ACs/I,VI & Register/P.Br.PHQ.
5. I/C Computer/CB for imaging and uploading the order on the website of Delhi Police.

कार्यालय आयुक्त पुलिस : दिल्ली।

पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड, नई दिल्ली–110001
दूरभाष/फेक्स सख्या–20818736, ई–मेल: inspr.p.phq@gmail.com

अधिसूचना

दिनांक: 28.03.2023

संख्या 7121/पदोन्नति प्रकोष्ठ(एसी–III)/कार्मिक शाखा/पु0मु0: तदर्थ पदोन्नतिः–आयुक्त पुलिस, दिल्ली निम्न सिपाहियों (कार्य.) को तत्काल प्रभाव से 06 माह की अवधि के लिये या जब तक वे दिल्ली पुलिस (पदोन्नति एवं स्थायीकरण) नियमावली–1980 के नियम–19(i) के तहत लोवर स्कूल कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद नियमित पदोन्नति के पात्र नहीं हो जाते, जो भी पहले हो, प्रधान सिपाही (कार्य.) के पद पर तदर्थ आधार पर अस्थायी पदोन्नति प्रदान करते हैं:–

क्र. सं.	नाम	बेल्ट नम्बर	पीआईएस नं.	सी.जी. नम्बर
1.	सिपाही (कार्य.) देवेन्द्र कुमार	2917/W	28109541	पी–280323–143–0017
2.	सिपाही (कार्य.) मनवीर सिंह	5139/DAP	28101003	पी–280323–143–0018

वे नियमित नियुक्ति या वरिष्ठता या ऐसे किसी अन्य समकक्ष पद पर नियुक्ति के लिए किसी अधिकार का दावा करने के हकदार नहीं होगें तथा बिना किसी नोटिस के और बिना कोई कारण बताए प्रत्यावर्तन के संभाव्य होंगे। स्थायी आदेश संख्या एचआरडी/30/2022 के अनुसार तदर्थ पदोन्नति उस तिथि से रोक दी जाएगी जब प्रोन्नत अपने बेचमेट्स के साथ निर्धारित पाठ्यक्रम में भाग लेने से मना कर दें या असफल हो जाएं या उन्हें निलंबन के तहत रखा गया हो या उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिये गए हों या कोई आपराधिक मामला दर्ज हो या नैतिक अधमता या भ्रष्टाचार के आरोप में बड़ी सजा के लिए निंदा (censure) दी गई हो।

(महेश बत्रा)
उपायुक्त पुलिसः मुख्यालय–IV,
दिल्ली।

संख्या 7122–29/पदोन्नति प्रकोष्ठ(एसी–III)/कार्मिक शाखा/पु0मु0, दिनांक 28.03.2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषितः–

1. उपायुक्त पुलिस/पश्चिमी जिला एवं 7वीं बटालियन, डीएपी, दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। संबंधित को सूचित करेंगे, उनसे हस्ताक्षरित पावती प्राप्त कर उन की फौजी मिसल में लगायेंगे।
2. एसीपी/आई.टी./पु0मु0, दिल्ली।
3. निरीक्षक/स्थापना शाखा/पु0मु0 को दिल्ली पुलिस राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
4. एसी–I, IV व रजिस्टर/कार्मिक शाखा/पु0मु0।
5. प्रभारी/कम्प्यूटर/गोपनीय को दिल्ली पुलिस की वेब–साइट पर अपलोड करने हेतु।